उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, पर दिनांक 20-7-85, 27-7-85 तथा 2-8-85 को हुई उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1985 की तृतीय बैठक का कार्यवृत्त।

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1-	श्री खान गुफरान ज़ाहिदी		अध्यक्ष
2-	श्री नौनिहाल सिंह		सदस्य
3-	श्री के0बी0दुबे		सदस्य
4-	श्री बनमाली टण्डन	विशेष सचिव, आवास (सचिव, आवास के प्रतिनिधि)	सदस्य
5-	श्री साऊ राम	संयुक्त सचिव, आवास विभाग (सचिव, आवास के प्रतिनिधि)	सदस्य
6-	श्री प्रेम नारायण	संयुक्त सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
7-	श्री एल0एस0जौहरी	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
8-	श्री शिव कुमार शर्मा	प्रबन्ध निदेशक, जल निगम	सदस्य
9-	श्री बाबू राम	प्रशासक, नगर महापालिका	सदस्य
10-	श्री एस0एन0बेदी	(निदेशक, सी0बी0आर0आई0, रूड़की के प्रतिनिधि)	सदस्य
11-	श्री शम्भु नाथ	आवास आयुक्त	सदस्य

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये:-

क्र0सं0	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1	2	3	4
1-	दिनांक 8-4-85 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	तृतीय/(1)/85	परिषद की दिनांक 8-4-85 को हुई बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।
2-	परिषद की बैठक दिनांक 8-4-85 की अनुपालन आख्या।	तृतीय/(2)/85	परिषद द्वारा दिनांक 8-4-85 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित आख्या की विस्तृत समीक्षा की गयी तथा सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:- 1- श्री नौनिहाल सिंह द्वारा रखे गये प्रस्ताव के संबंध में यह निर्देश दिये गये कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के संदर्भ में परिषद को अगली बैठक में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाये। 2- मुरादाबाद तथा अलीगढ़ में पुलिस कर्मियों द्वारा परिषद के आवासों पर अनाधिकृत रूप से अध्यासन के संदर्भ में माननीय मुख्य मंत्री जी से इस समस्या के निराकरण के लिये समय बाद विधान सभा सत्र के उपरान्त ले लिया जाये। माननीय मुख्य मंत्री जी से समय लेने अध्यक्ष महोदय जायेंगे यह भी विचार-व्यक्त किया गया कि इस संदर्भ में माननीय मुख्य मंत्री जी से वार्ता के समय पुलिस महानिदेशक को भी आमंत्रित किया जाये। 3- विभिन्न थानों पर पंजीकरण तथा अन्य धनराशियाँ बैंकों के नाम से जमा की जाती हैं परन्तु परिषद के खाते में क्रेडिट होने की तिथि बाद में होती है। बीच की अवधि में परिषद के खाते में धनराशि जमा होने में जो विलम्ब होता है उसको दूर करने का प्रयास किया जाये ताकि लेखों की स्थिति अद्यावधिक रहे। 4- वित्तीय संस्थानों की व्यवस्था से सम्बन्धित मुद्दों पर विचार करने तथा संसाधनों को जुटाने सम्बन्धी मामले पर एक समिति का गठन किया जाये जिसमें अध्यक्ष महोदय, आवास आयुक्त तथा श्री प्रेम नारायण

2	3	4
		संयुक्त सचिव, वित्त होंगे।
		5- वर्ष-1977-78 के धन विनियोजन सम्बन्धी अभिलेखों के अप्राप्ति के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समाधान करने का कार्य 15-8-85 तक पूरा कर लिया जाये और शासन को भी इसकी सूचना उपलब्ध करा दी जाये।
		6- वर्ष-1985-86 के आय व्ययक के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अभी हाल में मुख्य सचिव महोदय के आदेशानुसार आवास एवं नगर विकास विभाग ने जो निर्देश दिये हैं कि प्रशासनिक व्यय में वृद्धि न की जाये उक्त आदेशों को दृष्टिगत रखते हुये बजट में मदवार यथावश्यक संशोधन कर दिया जाये।
		वर्ष-1985-86 के आय व्ययक में मदवार जो संशोधन किये जायें उसका विवरण परिषद के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाये।
		7- उन समस्त योजनाओं में जहाँ नीलामी द्वारा आवासीय भूखण्ड निर्धारित आवासीय दर पर आवंटित किये जा रहे हैं, परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पिछली बैठक में पारित हुये उक्त प्रस्ताव की तिथि के बाद कितने भूखण्ड निस्तारित हुये और कितने होंगे की सूचना परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये
		8- श्रीमती जलसा देवी को इन्दिरा नगर योजना लखनऊ में भवन पुनर्आवंटित किया जाये से सम्बन्धित निर्देशों के अनुपालन की आख्या प्रस्तुत किये जाने के तारतम्य में रजिस्ट्रेशन से लेकर आवंटन तक की सभी प्रक्रियाओं का सभी स्तरों पर अध्ययन कर और तत्सम्बन्धी बिन्दुओं पर विचार कर सुझाव प्रस्तुत करने हेतु सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में एक समिति का गठन किया जाये जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:- 1- अध्यक्ष 2- श्री नौनिहाल सिंह, परिषद सदस्य 3- संयुक्त आवास आयुक्त एवं सचिव 4- मुख्य वास्तुविद् नियोजक 5- उप आवास आयुक्त (सं०प्र०-I) 6- उप आवास आयुक्त (सं०प्र०-II) परिषद द्वारा शेष मदों के सम्बन्ध में दी हुई अनुपालन आख्या का सिंहावलोकन किया गया और संतुष्टि प्रकट की गयी।
बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या।	तृतीय/(3)/85	बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। वर्ष-85-86 में निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध प्राप्त उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त किया गया।
(4) ... के अन्तर्गत वर्ष-1985-86 में बनाये जाने वाले 1590 भवनों के विरुद्ध 160 [illegible] निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं [illegible] स्वीकृति दिये जाने [illegible]।	तृतीय/(4)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। भविष्य के लिये ऐसे प्रकरण अपवाद स्वरूप ही प्रस्तुत किये जायें एवं वित्तीय स्वीकृति के लिये विस्तृत आंकलन प्रशासनिक स्वीकृति के 3 माह के अंदर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे प्रकरणों से सम्बन्धित विस्तृत आंकलन बनाये जाने की सूचना परिषद की अगली बैठक में रखी जाये।

1	2	3	4
	हल्दवानी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-4 हल्दवानी (क्षेत्रफल 24,73 एकड़ अनुमानित लागत रु0 131.31 लाख)	तृतीय/(5)/85	परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित।
5 6-	रानीखेत भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 (चिलियानौला) रानीखेत क्षेत्रफल 4,37 एकड़ अनुमानित लागत रु0 1031 लाख लगभग)	तृतीय/(6)/85	परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित। इस सम्बन्ध में निर्धारित मानकों के लागू करने के सम्बन्ध में निर्धारित मानकों का सभी डेवलपमेंट प्रत्येक प्रकरणों की स्थिति को लेकर दोबारा देख लिया जाये जिसके लिये अध्यक्ष महोदय, आवास आयुक्त और संयुक्त आवास आयुक्त की समिति विचार करलें और अगली बैठक में प्रस्तुत करें। साथ ही बदलती हुई परिस्थितियों के परिवेश में मानकों के पुर्ननिर्धारण के प्रयास पर आवश्यकतानुसार भी विचार किया जाये।
(7) 7-	दारिकापुरी सहकारी गृह निर्माण समिति की प्रश्नगत भूमि सं0-270 के अर्जनमुक्त करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(7)/85	परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मामलों का अध्ययन गुण-दोष के आधार पर किया जाये। अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त को इस सम्बन्ध में अधिकृत किया जाता है कि वह समुचित निर्णय लें लें और निर्णय की सूचना अगली बैठक में सूचित करें।
(8) 8-	गदरपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना गदरपुर में दु0आ0वर्ग 18/41 प्रकार के 50 तथा अल्प आय वर्ग 29/60 प्रकार के 20 भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिये जाने का प्रस्ताव।	तृतीय/(8)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसी स्वीकृतियों को मांगते समय तकनीकी स्वीकृति के विवरण प्रत्येक सम्बन्धित प्रस्ताव के साथ होना चाहिये।
9. 9-	परिषद की सिकन्दरा योजना आगरा में पेयजल व्यवस्था के सम्बन्ध में।	तृतीय/(9)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि— 1- इस योजना की भूमि विकास के संदर्भ में जो धनराशि स्वीकृत की गयी है उसमें जब जलापूर्ति के मद में जितनी धनराशि की व्यवस्था की गयी है यदि वह धनराशि उक्त 5/- प्रति वर्गमीटर की दर से अपेक्षित धनराशि के बराबर है अथवा जलापूर्ति के मद में विकास व्यय हेतु पूर्व स्वीकृत धनराशि से अधिक है तो तदनुसार कार्यवाही की जा सकती है एवं फिर परिषद से किसी अतिरिक्त स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। यदि जल संस्थान को दी जाने वाली धनराशि पूर्व निर्धारित विकास व्यय की धनराशि से अधिक है की अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति का प्रस्ताव परिषद के समक्ष लाया जा सकता है। 2- बेकेटी ट्यूबवेल के निर्माण के कार्य में अधिकतम लागत 1.20 लाख तक की अधिकतम सीमा मानते हुये सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गयी। प्रबन्ध निदेशक जल निगम से व्यय के आंकलन के संबंध में अनौपचारिक विचार विमर्श भी किया गया क्योंकि 3-4 वर्षों बाद पेयजल की समस्या पुनः हो सकती है जिसके लिये अभी से तैयारी करनी होगी। इस सम्बन्ध में विवरण अगली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।
10.	ज़ाजिदपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, जौनपुर।	तृतीय/(10)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि नियोजन समिति की अनुशंसा को देखते हुये योजना को निरस्त किया जाये।

	2	3	4
			यह भी निर्णय लिया गया कि भूमि अर्जन के इस प्रस्ताव में संस्तुति के अनुसार इस सम्बन्ध में बने हुये मानकों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिये ताकि अर्जन की कार्यवाही आवास योग्य भूमि के लिये ही की जा सके। यह भी पता लगा लिया जाये कि ऐसी कितनी योजनायें हैं जो इस आधार पर निरस्त होना पड़ा है और उसमें कितना खर्च आया है।
11.	सिकन्दरा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-3 प्रतापगढ़।	तृतीय/(11)/85	माननीय अध्यक्ष महोदय अपरिहार्य कारणों से स्थल का निरीक्षण नहीं कर पाये हैं। वे स्थल निरीक्षण उपरान्त अपनी निरीक्षण आख्या देंगे और प्रस्ताव पर आगामी बैठक में विस्तृत विचार किया जायेगा।
12.	आगरा में अनिस्तारित दुकानों के विरुद्ध देय धनराशि एवं किश्तों की सं०- में वृद्धि के सम्बन्ध में।	तृतीय/(12)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
13.	सुदर्शन एवं वी०एन०एस० सहकारी गृह निर्माण समिति कानपुर के भूमि के सम्बन्ध में।	तृतीय/(13)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि समितियां वर्ष-80 के शासनादेशों की शर्तों को यदि पूरा करती हैं और उनके द्वारा वित्तीय स्थिति के बारे में संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तथा वे इकरारनामा की शर्तों पर सहमति देने को तैयार हों तो उन्हें निर्धारित शर्तों के अनुसार विकसित भूमि उपलब्ध करायी जा सकती है।
14.	महोली रोड योजना सं०-1 मथुरा के अन्तर्गत अ०आ०व० के 107 तथा म०आ०व० के 60 भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।	तृतीय/(14)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे प्रकरणों पर परिषद द्वारा गुण-अवगुण के आधार पर विचार कर यथोचित निर्णय ले लिया जाता है परन्तु भविष्य में ऐसे अपरिहार्य प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्रयत्न यह होना चाहिये कि यथा संभव अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन भी ले लिया जाय और तदोपरान्त प्रकरण परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जायें। भविष्य में यह भी प्रयत्न किया जाये कि यथासंभव प्रत्याशा के आधार पर ऐसे प्रकरणों पर कम से कम निर्णय लिये जायें।
15.	परिषद के वर्तमान स्टाफिंग पैटर्न, जिसमें आधुनिक मैनेजमेंट टैक्नि पर्ट/सी०पी०एम० सामग्री व्यवस्था के प्रबन्ध इत्यादि में परिषद के वर्किंग एमीटर्स के अनुसार आज की आवश्यकतानुसार कार्य प्रणाली में उचित संशोधन किये जाने हेतु कन्सल्टेन्सी दिये जाने के संबंध में।	तृतीय/(15)/85-	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यह प्रकरण परिषद की सम्बन्धित समिति के हवाले कर दिया जाये जो उसका विस्तार पूर्वक परीक्षण करेगी। उक्त समिति में श्री एन०एस०जोशी, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को भी शामिल किया जाये। समिति अपनी आख्या परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत करेगी।
16.	अलीगढ़ लाइनपार योजना सं०-1 में टाइप 97/242 प्रकार के 10 भवनों के निर्माण एवं कब्जा प्राप्त 6 एकड़ भूमि विकास कार्य सम्पादन हेतु।	तृतीय/(16)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
17.	कमलानगर योजना, आगरा के सेक्टर-8 में पूर्व प्रस्तावित आधार उच्च आय वर्ग के 2 भवन तथा मध्यम आय वर्ग के 6 भवनों का प्रस्ताव।	तृतीय/(17)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
18.	स्ववित्त पोषित योजना वर्ष 1985 के अन्तर्गत 9 नगरों में विभिन्न श्रेणी के 1098 भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	तृतीय/(18)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया इस सम्बन्ध में यह देख लिया जाय कि प्रस्तावित व्यय अनुमोदित आय व्ययक की स्वीकृत सीमा के अन्तर्गत समायोजित है।

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग पर दिनांक 29-9-1984 को 10-30 बजे पूर्वान्ह में हुई उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की वर्ष 1984 की पंचम बैठक का कार्यवृत्त ।

निम्नलिखित उपस्थित थे :-

(1)	श्री निर्मल खत्री		अध्यक्ष
(2)	श्री राम पाल सिंह		सदस्य
(3)	श्रीमती दीपा कौल		सदस्या
(4)	श्री नौनिहाल सिंह		सदस्य
(5)	श्री साऊ राम	संयुक्त सचिव, आवास (सचिव, आवास के प्रतिनिधि)	
(6)	श्री शिव कुमार शर्मा	प्रबन्ध निदेशक, जल निगम	सदस्य
(7)	श्री प्रेम नारायन	संयुक्त सचिव, वित्त (सचिव, वित्त के प्रतिनिधि)	सदस्य
(8)	श्री आर0के0सिंह	अपर महानिदेशक, सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो	विशेष आमंत्री
(9)	श्री श्याम सूरी	आवास आयुक्त	सदस्य

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्न मदों पर निर्णय लिये गये:-

क्रमांक	विषय	संकल्प सं0	निर्णय
1	2	3	4
1-	दिनांक 30-7-84 की हुई बैठक के कार्य वृत्त की पुष्टि	पंचम/(1)/84	परिषद की दिनांक 30-7-84 को हुई बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी ।
2-	परिषद की बैठक दिनांक	पंचम/(2)/84	परिषद द्वारा दिनांक 30-7-84 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन से संबंधित आख्या की विस्तृत समीक्षा की गयी तथा सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:- 1- बैठक में बताया गया कि मुरादाबाद में पुलिस कर्मियों द्वारा किया गया अनाधिकृत अध्यासन समाप्त हो गया है। अलीगढ़ में पुलिस कर्मियों ने अभी हाल में कुछ आवासीय गृह खाली किये है किन्तु शेष अब भी उन्हीं के कब्जे में है। किराये की अदायगी के बारे में शासन का निर्णय प्रतीक्षित है। निर्णय लिया गया कि माननीय मुख्य मंत्री जी की जानकारी में लाने हेतु एक स्वत: स्पष्ट पत्र का आलेख्य अध्यक्ष महोदय की ओर से तैयार किया जाय जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया जाये कि वह अपने स्तर ~~से स्वयं~~ पर संबंधित अधिकारियों की शीघ्र बैठक कराके इस समस्या का निराकरण करायें । 2- परिषद की इन्दिरा नगर योजनान्तर्गत 80 मध्यम आय वर्ग एम0ए0/75 प्रकार के भवनों के प्राविधिक परीक्षण के संदर्भ में बताया गया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है जिसका परीक्षण किया जा रहा है। निर्णय लिया गया कि

1	2	3	4
			परीक्षण शीघ्र कराके विस्तृत आख्या परिषद की अगली बैठक में अवश्य रखी जाये ।
3-	बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के संबंध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विचार ।	पंचम/(3)/84	बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के संबंध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विचार विमर्श हुआ और निम्नलिखित निर्णय लिये गये:- 1- बैठक में यह बताया गया कि वित्तीय वर्ष 84-85 में कुल 4,076·56 एकड़ भूमि अर्जित करने का लक्ष्य परिषद द्वारा निर्धारित किया गया था जिस के विरुद्ध 478·09 एकड़ भूमि अर्जित की गयी है। यह बताया गया कि धारा 7/17 के अन्तर्गत कब्जा तो परिषद को मिल जाता है किन्तु एवार्ड बनने तथा प्रतिकर वितरण में काफी समय लगता रहा है जिस के कारण कब्जा प्राप्त भूमि पर विकास तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में भूस्वामियों द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाता रहा है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भूमि का कब्जा परिषद को उपलब्ध कराने के साथ-साथ अनुमानित प्रतिकर की स्वीकृति एवं उसके 2/3 भाग के वितरण तथा तदोपरान्त एवार्ड की स्वीकृति को भी शीघ्र प्राप्त करने का प्रयास चलता रहे जिससे कब्जा प्राप्त भूमि पर निर्माण एवं विकास कार्य करने में कठिनाई न हो । 2- बैठक में बताया गया कि वर्ष 84-85 में परिषद द्वारा 768 एकड़ भूमि विकसित करने तथा 1500 एकड़ पर विकास कार्य प्रगति से रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । बैठक में बताया गया कि उक्त लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये निर्माण कार्य का त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। माह अगस्त 84 तक 582 भवन पूर्ण हो चुके हैं । 3577 भवन प्रगति पर हैं निर्णय लिया गया कि अगले त्रैमास में अधिकाधिक भवन पूर्ण करने का प्रयास किया जाय और जिन भवनों की नींव अभी नहीं पड़ पायी है नींव डालना सुनिश्चित किया जाये ताकि लक्ष्य के सम्बन्ध सुनिश्चित किया अनुरूप भवन का बनाना प्रारम्भ हो जायें । 3- वर्ष 77-78 से 82-83 से तक की बैलेंस शीट बनने के संबंध में प्रगति की जानकारी परिषद को करायी गयी । निर्णय लिया गया कि पूर्व निश्चित कार्यक्रमके अनुसार दिसम्बर, 84 तक इन्हें पूरा कराने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये । बैठक में बताया गया कि 77-78 की बैलेन्सशीट का आडिट हो चुका है और 78-79 की बैलेंस शीट का आडिट चल रहा है निर्णय लिया गया कि 77-78 तथा 78-79 की बैलेंसशीट जो आडिट हो चुकी है उन्हें परिषद के अवलोकनार्थ अगली बैठक में रखा जाये और भविष्य में जैसे जैसे बैलेंसशीट तैयार होती जाय उन्हें आडिट के पूर्व ही परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाये ।

क्र0प0उ0

1	2	3	4
19-	इज्जतनगर योजना सं0-2 बरेली में स्वयं वित्त पोषित योजना वर्ष-1984 के अन्तर्गत श्रेणी ''अ'' 10 श्रेणी ''ब'' के 28 तथा श्रेणी ''स'' के 29 भवनों के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	तृतीय/(19)/85	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की। यह भी निर्णय लिया कि इस सम्बन्ध में यह देख लिया जाये कि प्रस्तावित व्यय अनुमोदित आय-व्यय की स्वीकृत सीमा के अन्तर्गत समायोजित है।
20-	हडको वित्त पोषित 15 आवासीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हडको से ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(20)/85	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि वित्तीय उप समिति इस बिन्दु पर भी विचार करलें कि पंजीकरण शुल्क की धनराशि परिषद को फ्रीज करते हुये किसी बैंक में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा किया जाय ताकि वर्तमान ब्याज दर से अधिक ब्याज परिषद को मिल सके।
21-	परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष -84-85 के अनुग्रह धनराशि का भुगतान।	तृतीय/(21)/85	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्व-सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
22-	बेरायाकार कम्पनी कानपुर व्दारा रायबरेली में 10 द0आ0व0 के भवनों को नकद पर क्रय करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(22)/85	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया गया कि भवनों का विक्रय मूल्य अन्य संस्थानों को दिये जाने वाले भवनों के विक्रय मूल्य से कम नहीं होगा एवं यथा सम्भव इनमें निम्न आय वर्ग के आवंटी निवास करेंगे।
23	बुलन्दशहर योजना सं0-2 में द0आ0व0 18/40 प्रकार के 25 भवनों के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	तृतीय/(23)/85	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
24-	पंजीकरण/प्रदेशन हेतु पंजीकृत व्यक्ति एवं प्रदिष्टी को नामिनी घोषित करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(24)/85	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त इस संशोधन के साथ सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई कि जहाँ प्रस्तावित विनियमों में उत्तराधिकारी ''शब्द का प्रयोग किया है उसे हटा दिया जाये। जिन मामलों में मनोनयन नहीं किया जायेगा, वहाँ सामान्य नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही होगी। नामित व्यक्ति पंजीकृत व्यक्ति का रक्त सम्बन्धी होगा तथा पंजीकरण प्रमाण-पत्र पर नामित व्यक्तियों का उल्लेख भी होगा।
25-	परिषद व्दारा प्रदिष्ट होने वाले भूखण्डों पर निर्माण अवधि में वृद्धि हेतु।	तृतीय/(25)/85	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त इस संशोधन के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी कि- 1-5 वर्ष तक कोई भी अनिर्माण शुल्क देय नहीं होगा। 2- [illegible] अपरिहार्य परिस्थितियों में निम्न श्रेणी के लोगों के सम्बन्ध में 13, 14 और 15 वर्ष में अनिर्माण शुल्क में रियायत दिये जाने की मात्रा के सम्बन्ध में आवास आयुक्त अथवा अध्यक्ष विशेष परिवेश में यथोचित निर्णय ले लें। 1- सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिक 2- सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी। 3- सेवा निवृत्त सरकारी अधिकारी/कर्मचारी। 4- विस्थापित एवं विकलांग 5- अन्य मामले जहाँ विचाराधीन परिस्थितियाँ हों उक्त अवधि के समाप्त होने पर भूखण्ड परिषद व्दारा वापस ले लिया जायेगा और उसका नियमानुसार आवंटन निरस्त किया जायेगा।

1	2	3	4
26-	वर्ष-1977-78 की स्थितिपत्रक में सम्परीक्षण द्वारा उठायी गयी आपत्तियों के सम्बन्ध में विवरण।	तृतीय/(26)/85	वर्ष-1977-78 की स्थिति पत्रक में सम्परीक्षण द्वारा उठायी गयी आपत्तियों के सम्बन्ध में प्रस्तुत विवरण को इस अभियुक्ति के साथ स्वीकार किया जाता है कि जो आपत्तियां स्थानीय निधि लेखा द्वारा निरस्त हो गये हैं, उनका उल्लेख भी अलग से कर दिया जाये और तदनुसार ही स्थितिपत्रक शासन विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।
27-	पहाड़ भूमि विकास एवं एवं गृहस्थान योजना, झाँसी	तृतीय/(27)/85	नियोजन समिति की संस्तुति परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकार की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि भूमि अध्याप्ति करने से पूर्व भविष्य में यह ध्यान रखा जाये कि ली जाने वाली भूमि ऐसी होनी चाहिये जिसके कम से कम कोर्ट जाने की संभावना हो। ऐसी भूमि के अर्जन का प्रस्ताव किया जाना चाहिये जो आवासीय तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टिकोण से उपयुक्त हो। इस प्रकरण पर आवास आयुक्त इस बिन्दु पर भी जांच करलें कि इस योजना की उपयुक्तता के बारे में प्रस्ताव प्रेषित करने के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी है जिससे यह योजना जिसका परित्याग करना पड़ा है, प्रारम्भ की गयी है।
28-	ललितपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, ललितपुर।	तृतीय/(28)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि ललितपुर योजना की भूमि अध्याप्ति करने के सम्बन्ध में आवास आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय समिति की संस्तुति निर्धारित माप दण्ड के अनुसार परीक्षण की अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे।
29-	लक्ष्मीताल भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना झाँसी।	तृतीय/(29)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त नियोजन समिति की संस्तुति को ध्यान में रखते हुये प्रस्ताव सर्वसम्मति से निरस्त किया गया
30-	हडको घोषित 4 आवासीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हडको से ऋण प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/((30)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
31-	परिषद में विद्युत/यांत्रिक कार्यों हेतु एक अतिरिक्त विद्युत/यांत्रिक खण्ड की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	तृतीय/(31)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आवास आयुक्त एवं अध्यक्ष निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श करके परिषद को अगली बैठक में अवगत करायेंगे:- 1- राज्य विद्युत परिषद, जल निगम सार्वजनिक निर्माण विभाग निर्माण निगम आदि संघटनों की स्थिति को देखते हुये परिषद के परिवेश में मापदण्ड का निर्धारण। 2- वर्तमान निर्धारित मापदण्ड के उपयोग का सत्यापन तथा वर्तमान स्थिति

	2	3	4
32	सिविल लाइन्स योजना सं०-1 (फेज-2) के अन्तर्गत म०सं०-53/127 प्रकार के 28 भवनों के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	तृतीय/(32)/85	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
33-	हमीरपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, हमीरपुर।	तृतीय/(33)/85	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
34)	[illegible]बाद भूमि विकास [illegible] योजना सं०-1 [illegible]	तृतीय/(34)/85	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
35	सिविल लाइन्स योजना मुरादाबाद में 5 नग दुकानों तथा 2 नग [illegible] के निर्माण [illegible] प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	तृतीय/(35)/85	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
36-	हल्दवानी योजना सं०-1 में अनाधिकृत रूप से रह रहे श्री गुमान सिंह कमल सिंह व श्रीमती जयन्ती देवी को भूमि प्रदेशन के सम्बन्ध में।	तृतीय/(36)/85	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सर्वश्री गुमान सिंह, कमल सिंह तथा श्रीमती जयन्ती देवी को यह सुविधा पहले से ही परिषद व्दारा उपलब्ध करा दी गयी थी कि वे भूमि का मूल्य का भुगतान 4 वर्षों में करदें। अब उन्हें अन्य कोई सुविधा नहीं दी जा सकेगी। अनाधिकृत रूप से निवास कर रहे इन व्यक्तियों को अनाधिकृत कब्जे से हटाने के लिये नोटिस भेजी जाये और इस भूमि के निस्तारण करने की कार्यवाही की जाये।
37-	भेलपुर योजना वाराणसी में समाविष्ट श्री मन्नी लाल की अर्जित भूमि खसरा सं०-755 क्षेत्रफल 26 डिसमिल को अधिग्रहण से अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(37)/85	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि शासन से यह अनुरोध किया जाये कि वर्तमान स्थिति को देखते हुये शासन अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। शासन को मौके की स्थिति अवगत कराते हुये साइट प्लान भेजा जाय।
38-	देहली मार्ग हिन्डन नहर के मध्य भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-3 गाजियाबाद में से 73.1 एकड़ भूमि विकास प्राधिकरण गाज़ियाबाद को देने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(38)/85	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि दिनांक 1-1-84 से शासनादेशों के अनुसार जितनी भूमि को छोड़ा गया इसका भी विवरण परिषद को उपलब्ध कराया जाये
39-	सेक्टर-12 कमलानगर योजना आगरा में स्वयं वित्त पोषित योजना 1985 के अन्तर्गत श्रेणी 2 व 3 के क्रमशः 16 तथा 9 भवनों के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।	तृतीय/(39)/85	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
40-	नियुक्ति प्राधिकारी आवास आयुक्त व्दारा दक्षतारोक प्रकरण पर पारित आदेश सं०-943/प्रशा०-एक-473 दि०21-6-83 के विरुद्ध उत्तम चन्द बंसल, सहायक अभियन्ता के व्दारा प्रस्तुत की गयी अपील की सुनवाई के प्रसंग में।	तृतीय/(40)/85	परिषद व्दारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में हुये विचार विमर्श के तारतम्य में समिति पुनः अपना प्रतिवेदन परिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

1	2	3	4
41-	अनुशासनिक प्राधिकारी के द्वारा पारित दो आदेशों के विरुद्ध श्री एस० पी० सारिक सहायक अभियन्ता के द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील की सुनवाई के प्रसंग में।	तृतीय/(41)/85	परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में हुये विचार विमर्श के तारतम्य में सचिव पुन: अपना प्रतिवेदन परिषद के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
42-	लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद तथा गाजियाबाद नगरों में हडको परियोजना के अन्तर्गत द० आ० व० अल्प आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग भवनों के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।	तृतीय/(42)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
43-	लखनऊ व कानपुर की परिषद योजनाओं में पत्रकारों, लेखकों, कवियों, कवियित्रियों तथा संगीतकारों को भवन के पंजीकरण शुल्क मिनिमम व भवन की कीमत को 20 वर्ष में वसूल किये जाने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(43)/85	परिषद द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि प्रचलित व्यवस्था इन वर्गों के लिये पर्याप्त है।
44-	परिषद के कार्य प्रभारित अधिष्ठान में कार्यरत, विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिये परिषद द्वारा स्वीकृत वेतनमानों को उ०प्र० सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत वेतनमानों के समान किये जाने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(44)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
45-	परिषद में सीधी भर्ती से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में।	तृतीय/(45)/85	लम्बित अनुशासनिक कार्यवाहियों का विवरण परिषद को उपलब्ध कराया गया। परिषद में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इनके निस्तारण में शीघ्रता की जाये।
46-	गुण नियंत्रण कोष्ठ में तकनीकी सहायकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के स्रोतों एवं प्रोन्नतियों के सम्बन्ध में।	तृतीय/(46)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सिद्धान्त: सहमति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया कि वेतनक्रमों का पुन: परीक्षण करके अगली बैठक में स्थिति स्पष्ट की जाये।
47-	मूल्यांकन समिति के गठन के सम्बन्ध में।	तृतीय/(47)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि मूल्यांकन समिति में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक श्री जौहरी, मुख्य वास्तुविद नियोजक, श्री लखोरी तथा संयुक्त सचिव, वित्त श्री प्रेम नारायण को भी सम्मिलित किया जाये।
48-	सहायक आवास आयुक्त के पद पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में सेवा विनियमावली।	तृतीय/(48)/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारियों के पद पर नियुक्ति का एक स्रोत और बढ़ाये जाने के परिणामस्वरूप पारस्परिक ज्येष्ठता के निर्धारण की क्या प्रक्रिया होगी, इस स्थिति पर अगली बैठक में प्रकाश डाला जाये।

1	2	3	4
49-	परिषद में अवर अभियन्ताओं के पद पर नियुक्ति के स्रोतों के सम्बन्ध में।	तृतीय/(49)/85	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
50-	परिषद योजनाओं का नामकरण।	तृतीय/(50)/85	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि श्रीमती दीपा कौल, सदस्या के स्थान पर श्री जे०पी०दुबे, सदस्य का शामिल किया जाये।
51-	कैप्टन राकेश त्रिपाठी को प्रदिष्ट म०आ०व०भवन सं०-22/98 के स्थान पर सी०-40 का परिवर्तन किया जाना।	तृतीय/(51)/85	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
52-	उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद ऋण पत्र'दशम' श्रृंखला'धनराशि रु० 220 लाख जारी किये जाने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(52)/85	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गयी।
53-	इज्जतनगर योजना सं०-2 बरेली व नेहरूनगर योजना देहरादून में स्व वित्त पोषित योजना प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(53)/85	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
54-	परिषद योजनाओं में अशासकीय संस्थाओं को भूमि आवंटित करने के लिये नीति निर्धारण।	तृतीय/(54)/85.	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में यह और देख लिया जाये कि किन किन मापदण्डों का आधार बनाकर इस संस्था को भूमि दी जा सकती है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाये।
55-	म०आ०व० के भवनों में आय सीमा में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(55)/85	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया।
56-	राजकीय कर्मचारी आवास योजना में इच्छुक अधिकारी/कर्मचारियों व्दारा उनके इच्छित जिला मुख्यालय पर जन सामान्य की अपेक्षा वरीयता के आधार पर निजी आवास उपलब्ध कराया जाना।	तृतीय/(56)/85	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
57-	परिषद की इन्दिरा नगर योजना लखनऊ के अन्तर्गत श्री मनोहर सिंह रौतेला पंजीकरण सं०-एल०डब्ल्यू०/एम०-2065(8) को भवन सं०-डी०-1155 किस्तों पर प्रदेशन के सम्बन्ध में।	तृतीय/(57)/85	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त विशेष परिस्थितियों में तथा भविष्य में दृष्टान्त न मानते हुये प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
58-	परिषद के समक्ष रु० 30.00 करोड़ की ब्लाक गारन्टी लिये जाने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(58)/85	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत यह निर्णय लिया गया कि इससे कम के यदि कोई बैंक गारंटी दे तो उस पर भी विचार कर लिया जाये।
59-	परिषद में अधीक्षण अभियन्ता के रिक्त पदों को अधिशासी अभियन्ता से प्रोन्नत देकर भरे जाने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(59)/85	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से श्री वीरेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता अष्ठम निर्माण खण्ड, लखनऊ को अधीक्षण अभियन्ता के पद पर चयन हेतु चयन समिति का प्रस्ताव स्वीकृत किया।

1	2	3	4
			यह भी निर्णय लिया कि शासन द्वारा आरक्षण के सम्बन्ध में दिये हुये निर्देशों का पालन करते हुये अधीक्षण अभियन्तों का एक पद आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा भरा जाना उपयुक्त होगा। विचारोपरान्त श्री एल०पी०आर्या, अधिशासी अभियन्ता, जिनकी अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पात्र होने हेतु नियमित सेवा अनवरत सेवा से 5 वर्ष से कम की है को उनके वर्तमान वेतनमान में अधीक्षण अभियन्ता के कार्यों के सम्पादन करने हेतु प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता के रूप में नियुक्त किये जाये ताकि आरक्षण नियम का पालन हो सके। परिषद में आरक्षण की वर्तमान स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करते हुये यह भी निर्णय लिया कि तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के निर्धारित आरक्षित पदों की संख्या की पूर्ति यथाशीघ्र की जाये।
60- अध्यक्ष की अनुमति से	तृतीय/(60)/85		अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित।
	तृतीय/(61)/85		माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आवास आयुक्त द्वारा आभार प्रकट करते हुये परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सभी सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अभियन्ताओं वास्तुविदों तथा सम्बन्धित निर्माण एजेन्सियों में कार्यरत उच्चाधिकारियों को सेमिनार में बुला लिया जाये जिसके संयोजक श्री आनन्द कुमार पचौरी मुख्य वास्तुविद नियोजक होंगे।
62- अध्यक्ष की अनुमति से	तृतीय/(62)/85		परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित।
63- ,, ,,	तृतीय/(63)/85		परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ स्थगित।
64- स्वीकृत मूल्यांकन प्रस्तुत करने के संबंध में।	तृतीय/(64)/85		परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण मूल्यांकन समिति को संदर्भित किया जाये।
65- परिषद मुख्यालय पर ड्राईवर के अतिरिक्त पद के सृजन के सम्बन्ध में।	तृतीय/(65)/85		परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
66- श्री गुलाब सिंह, राज्य मंत्री पर्वतीय विकास का आजन (राजपुर रोड) योजना में स्थित भूखण्ड के आवंटन सम्बन्ध में।	तृतीय/(66)/85		परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी
67- अमरोहा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-1 में समाविष्ट श्री रविकान्त व शशिकान्त की भूमि खसरा सं०-3676 को अर्जन मुक्त करने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(67)/85		परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 250 वर्ग मीटर भूमि ले-आउट में छोड़ी गयी। भूमि के अतिरिक्त मंदिर के सामने दे दी जाये और नियमानुसार विकास व्यय ले लिया जाये।
68- सहायक निदेशक (उद्यान) के प्रयोगार्थ वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	तृतीय/(68)/85		परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में आवास आयुक्त अपने स्तर से उचित निर्णय लेलें।

बैठक अध्यक्ष महोदय को आभार प्रकट करते हुये समाप्त की गयी।

पुष्टि की गयी
[signature]
अध्यक्ष

लीन-5-11-85